अनुदान संख्या 41 – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
GRANT No. 41 - MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1400,00,00	1400,03,00	719,16,38	-680,86,62
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				679,44,54

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2408"	Major Head "2408"				
खाद्य, भंडारण और भांडागार	Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	124314.00	69524.34	69383.60	-140.74
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-54791.66			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	13130.00	..	..	..
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-13131.00			

(I) ₹13131.00 लाख का प्रावधान (जुलाई, 2018 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) मुख्य शीर्ष "2552" – "खाद्य – खाद्य प्रसंस्करण – प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना" – के अंतर्गत एक मामले में

(I) Provision of ₹13131.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in July, 2018) remained wholly unutilized in one case under Major Head "2552" - "Food - Food Processing –

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई।

(II) Under Major Head "2408" - "Food" – savings occurred under the following heads:-

(का) "खाद्य प्रसंस्करण – प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना" – ₹49401.64 लाख की बचत (जुलाई, 2018 और दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹1.60 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹107179.60 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Food Processing - Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - saving of ₹49401.64 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹107179.60 lakhs including token supplementary grant of ₹1.60 lakhs obtained in July, 2018 and December, 2018);

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" – ₹4714.79 लाख की बचत (जुलाई, 2018 में प्राप्त किए गए ₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5500.20 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - saving of ₹4714.79 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5500.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh obtained in July, 2018); and

(गा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" – ₹4925.46 लाख की बचत (जुलाई, 2018 में प्राप्त किए गए ₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5500.20 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(C) "Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana" - saving of ₹4925.46 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5500.20 lakhs including token supplementary grant of ₹0.20 lakh obtained in July, 2018).

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों/फर्मों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to non-receipt of viable proposals from the implementing agencies/firms and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4095.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य – खाद्य प्रसंस्करण – राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान" के अंतर्गत जुलाई, 2018 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2. The above savings were partly (₹4095.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in July, 2018 under Major Head "2408" - "Food - Food Processing - National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management".